

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पः चातवर्ती)

CNF NUMBER
सी.ए. आर संख्या

Case प्रकरण की संख्या

Year वर्ष

Versus नाम

Order with initials of Presiding Officer
प्रीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश

Brief Note of
Compliance of
the order
आदेश की पालना
का संक्षेप टिप्पण

2

3

अब पत्रक 20/11/24 एस डी एम
साहब को भेजा है पर है।
उसी इल्फा को जाकर पत्रावली
नारीख 20/11/24 को भेजा है।

06 पत्रावली पेट हुई। वकील जहाँ उर्फ वकील उपस्थित
ने प्रार्थना-पत्र का प्रस्ताव ना देकर बहक चुका,
बादा। वकील जहाँ ने बहक सुनी गई। पत्रावली
बारे आदेश दिनांक 13/10/24 को पेट है।

06 8/11/24
पत्रावली 2
दिनांक 01/10/24

07 8/11/24
पत्रावली 2
दिनांक 21/10/24

0 पत्रावली पेट हुई। वकील जहाँ उर्फ पत्रावली बारे
बहक दिनांक 23/11/24 को पेट है।

पत्रावली पेट हुई। वकील जहाँ उर्फ वकील जहाँ
बहक है उर्फ पेट है। उर्फ देय जाकर सिद्ध
दिनांक 12/12/2024 को पेट है।

0 पत्रावली पेट हुई। उभय पक्ष वकील उपस्थित। उभय पक्ष
वकील बहक सुनी गयी। वकील उपस्थित ने प्रार्थना-पत्र में
वर्तित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहक में गिरेहन
किया कि वाइयस आशजी उपस्थित के कले-माइल की आराजी है।

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चात्कर्तव्य)

CNR NUMBER सी.एन.एन.आर. नम्बर

Number of Case प्रकरण की संख्या Year वर्ष

Versus बनाम

Date दिनांक

Order with Initials of Presiding Officer
 गठाराम अफिनारी के हस्ताक्षर से आदेश

1

2

वाइस आराजी पैतृक आराजी है जिस पर अपील के अन्तर्गत
 छोड़े व लंबे वक्रे हुए हैं। अपील जबरन अपील की
 श्रम पर कक्षा करना चाहते हैं। अतः अपील के पक्ष
 में पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया
 जावे। वकील अपील ने अपनी बहस में निवेदन किया
 कि अपील ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर वाइस पेडा
 किया है जो काबिले खारिज है। अतः अपील के विरुद्ध
 जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को जारी रखने के खारिज
 कम्पाया जावे। उभय पक्ष वकील बहस पर मन्मथ विप
 तथा पत्रावली में उपलब्ध उस्तावेजों का अवलोकन
 किया जिससे अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम
 दुसरा मम्मता, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णता सति
 अपील के पक्ष में सिद्ध होते हैं। उभय पक्ष बहस एवं
 पत्रावली में उपलब्ध उस्तावेजों के आधार पर अपील
 का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार
 किया जाता है तथा पूर्व में दिनांक 13.07.2024 को जारी
 अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाइ के निस्तारण तक
 कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली पैसल शुमार होकर
 दर्ज नम्बर से कम होकर वाइ तक्मील डाकिए अन्तर्गत है।
 निर्णय आज दिनांक 12.12.2024 को मेरे द्वारा
 लिखा जाकर सरे- इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
 बाय (फलोदी)